नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2020–21 में छात्र/छात्राओं के आवेदन करने एवं शैक्षिक संस्थान स्तर से आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करने हेतु नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल (**https://scholarships.gov.in**) को दि0 13.10.2020 से दि0 15.11.2020 तक खोला गया है। विभागीय छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण निम्वत है।

क0सं0	छात्रवृत्ति योजना का नाम	पात्रता
1	अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 01–08	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, आय सीमा की बाध्यता नहीं।
2	अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 09–10	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, वार्षिक आय सीमा रू0 2.50 लाख तक।
3	पिछडी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना कक्षा 01–10	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, वार्षिक आय सीमा रू0 2.50 लाख तक।
4	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना कक्षा 01–10	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, वार्षिक आय सीमा रू0 24000/– तक।
5	अनुसूचित जाति /जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, वार्षिक आय सीमा रू0 2.50 लाख तक।
6	पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, वार्षिक आय सीमा रू0 1.00 लाख तक।
7	ई0बी0सी0 (राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में दशमोत्तर कक्षाओं के अन्तर्गत अध्ययनरत सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के में छात्र/छात्राओं हेतु संचालित)	उत्तराखण्ड का मूल निवासी, वार्षिक आय सीमा रू0 1.00 लाख तक।

अतः सभी जनप्रतिनिधियों/जनसामान्य से अनुरोध है कि अपने –2 क्षेत्रान्तर्गत छात्र/छात्राओं को उपरोक्त वर्णित तिथियों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सके।

आज्ञा से

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

पौडी गढवाल।

Scanned with CamScanner